# न्यायालय जिला कलक्टर, पाली

## पीठासीन अधिकारी : श्री नमित मेहता, आई.ए.एस.

**राजस्व अपील : 24/2020**

**जी.सी.एम.एस. : 2020/00176**

**अपीलान्ट** **बनाम** **रेस्पोडेन्ट :–**

जानकी पुत्री स्व. चुनाराम पत्नी स्व. मांगीलाल जाति सरगरा निवासी सोनाईमांजी हाल बाणियावास तहसील पाली जिला पाली

1. नायब तहसीलदार महोदय पाली
2. स्वर्गीय रतिया उर्फ रतनाराम पुत्र स्व. चुनीया के का.मु.–
   2.1 कुकीदेवी पत्नी स्व. रतिया उर्फ रतनाराम
   2.2 श्रवण पुत्र स्व. रतिया उर्फ रतनाराम
   2.3 रेखा देवी पुत्री स्व. रतिया उर्फ रतनाराम
   2.4 किशन पुत्र स्व. रतिया उर्फ रतनाराम
   2.5 सरोज पुत्री स्व. रतिया उर्फ रतनाराम
   2.6 सीमा पुत्री स्व. रतिया उर्फ रतनाराम प्रार्थी संख्या 2.4 से 2.6 नाबालिग जरिये कुदरती वली माता कुकीदेवी पत्नी स्व. रतिया उर्फ रतनाराम
3. बुद्धाराम पुत्र स्व. चुनाराम तमाम जातिगण सरगरा निवासीगण सोनाईमांझी तहसील पाली

**अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956**

उपस्थित :–

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री शंकरलाल गहलोत

रेस्पो. सं. 01 की ओर से सरकारी पैरोकार श्री इरफान बेग नायब तहसीलदार अ.र.

**–: निर्णय :–**

दिनांकः– 26.05.2022

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील उनके अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत ग्राम सोनाई मांझी के नामान्तरकरण संख्या 470 दिनांक 16.05.1989 के विरूद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील अपीलांट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट बुद्धाराम पुत्र स्व. चुनाराम ने अपील स्वीकार करने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थी संख्या 2.1 से 2.6 बाद तामील नोटिस के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर, अधिवक्ता अपीलाण्ट एवं सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट के पिता चुनीया उर्फ चुनाराम के नाम ग्राम सोनाईमांझी में खसरा नम्बर 110 रकबा 10 बीघा कृषि भुमि स्थित है। अपीलाण्ट के पिता चुनीया उर्फ चुनाराम का देहांत होने पर राजस्व अधिकारी द्वारा फौतेदगी म्युटेशन संख्या 470 रेस्पोडेण्ट संख्या 02 रतिया उर्फ रताराम व रेस्पोडेण्ट संख्या 04 बुद्धाराम के

जिला कलेक्टर, पाली

पक्ष में भर दिया। उक्त अपीलाण्ट चुनीया उर्फ चुना राम की जाईन्दा पुत्री है जिसे बिना सुने एवं चुनीया उर्फ चुनाराम के विधिक वारिसान की जांच किये बगैर, अपीलाधीन म्युटेशन जारी कर दिया, जो विधि विरूद्ध है। अपीलाण्ट मृतक चुनीया उर्फ चुना राम की जाईन्दा पुत्री है हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पिता की सम्पति में पुत्री का समान हक बनता है। अपीलाण्टगण के पिता की मृत्यु पश्चात उनका फौतेदगी नामान्तरकरण हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार उनके विधिक वारिशान के नाम नामान्तरकरण दर्ज किया जाना चाहिए था। लेकिन हल्का पटवारी ने चुनाराम उर्फ चुनीया के विधिक वारिशान की जांच किए बिना, उन्हें नोटिस दिए बिना, सुनवाई का अवसर दिए बिना ही नामान्तरकरण दर्ज कर दिया, जिसमें अपीलाण्ट को छोड़कर अपीलाण्ट के भाईयों के नाम दर्ज किया गया है। जो प्रथम दृष्टया काबिले निरस्त है। अपीलाण्ट का अपीलाधीन कृषि भूमि पर कब्जा है एवं वर्तमान में आज भी काश्त कर रही है। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 ने रेस्पोडेण्ट संख्या 02 रतिया उर्फ रताराम एंव रेस्पोडेण्ट संख्या 04 बुधाराम को लाभ पहुंचाने की नियत से अपीलाधीन म्युटेशन का अमल दरामद कर दिया। दिनांक 06.08.2020 को अपीलाण्ट की माता नर्बदा द्वारा खसरा नम्बर 150, 448, 458, 245, 458/1 ,489, 548 ग्राम सोनाईमांझी का अपना हिस्सा अपीलाण्ट को बक्शीश करने पर उक्त खसरा नम्बर 110 की जानकारी हुई की अपीलाण्ट के पिता चुनीया उर्फ चुनाराम का फौतेदगी म्युटेशन भरते समय न तो अपीलाण्ट का नाम है और न अपीलाण्ट की माता नरबदा का नाम है जिसके संबध में राजस्व रेकर्ड दिनांक 25.08.2020 को प्राप्त होने पर जानकारी हुई। बिना किसी प्रकार देरी किए अपील न्यायालय में पेश की, विधि विरूद्ध एवं Ab initio void नामान्तरकरण को निरस्त करने के लिये म्याद का बिन्दु आड़े नहीं आता है, अतः अपील अपीलाण्ट जानकारी से अन्दर म्याद शुमार फरवाया जावें, जैर अपील नामान्तरकरण को निरस्त करावें।

रेस्पोडेंट स्व. रतिया उर्फ रतनाराम के का.मु. नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित है तथा श्री बुद्धाराम द्वारा दिनांक 14.10.2020 को प्रार्थना पत्र पेश किया कि अपीलांट मेरी सगी बहिन है तथा भूलवश इसका नाम जैर अपील नामान्तरकरण में इन्द्राज होना रह गया है इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर हम खातेदारों के साथ अपीलांट का नाम जोड़ा जावे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि जैर अपील नामान्तरकरण दिनांक 16.05.1989 को दर्ज किया गया था, इसके लगभग 30 वर्ष पश्चात अपील न्यायालय में पेश की है, जो स्पष्टतया म्याद बाहर होने से अपील अपीलाण्ट काबिल निरस्त है। इतनी लम्बी अवधि के पश्चात अपीलाण्ट उक्त अनुतोष अपील के जरिये प्राप्त नहीं कर सकता है, उसे घोषणा का दावा पेश करना चाहिए। एवं अपीलाण्ट ने पत्रावली में ऐसे कोई दस्तावेजात् पेश नही किये जिससे यह सिद्ध हो की अपीलाण्ट चुनीया उर्फ चुनाराम की जायन्दा पुत्री है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली व मूल नामान्तरकरण का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जैर अपील नामान्तरकरण वर्ष 1989

जिला कलेक्टर, पाली

में दर्ज किया गया है, लेकिन इससे अपीलाण्ट के हक अधिकार प्रभावित होते है तथा जहां किसी व्यक्ति के हक अधिकारों का प्रश्न हो, वहां पर म्याद का बिन्दु गौण हो जाने से अपील अपीलाण्ट जानकारी अन्दर म्याद शुमार की जाती है। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा कथन किया गया है कि अपीलाण्ट के पिता चुनीया उर्फ चुनाराम का देहान्त के वक्त अपीलाण्टगण के अलावा उनकी माता नरबदा भाई रतिया एंव बुद्धा जीवित थे, लेकिन चुनाराम उर्फ चुनीया का फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज किया गया, तब अपीलाण्ट एंव उसकी माता नरबदा के अलावा बाकी दोनो के नाम दर्ज किये गये। जिसकी ताईद मूल नामान्तरकरण से होती है। हल्का पटवारी द्वारा किसी भी व्यक्ति का फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज किए जाने से पूर्व उसके समस्त विधिक वारिशान की जांच करनी चाहिए, उनको सुनवाई एवं साक्ष्य–सबूत पेश करने का अवसर दिया जाना चाहिए, उसके पश्चात ही किसी व्यक्ति का फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज किए जाने के विधि में आज्ञापक प्रावधान है, लेकिन हल्का पटवारी द्वारा ऐसा किया जाना प्रतीत नहीं होता है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत निर्वसीयती मरने वाले हिन्दु पुरूष की सम्पति पर उसकी जीवित पत्नी, पुत्र एवं पुत्रियां प्रथम वर्ग के दायद होते है तथा किसी हिन्दु पुरूष का फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज करते वक्त उसके समस्त वारिसान का नाम दर्ज किया जाना चाहिए, पत्रावली पर अपीलांट का भाई रेस्पोडेंट बुद्धाराम द्वारा भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलांट का नाम जैर अपील आराजी में जोड़े जाने में अनापत्ति जाहिर की है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 470 दिनांक 16.05.1989 को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा नायब तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत ग्राम सोनाईमांझी के नामान्तरकरण संख्या 470 दिनांक 16.05.1989 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार पाली को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे मृतक चुनीया उर्फ चुनाराम जाति सरगरा निवासी सोनाईमांझी के विधिक वारिसान की उचित जांच कर, सभी पक्षकारान को सुनवाई का समूचित अवसर देते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.05.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलक्टर, पाली